<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25112021-231376 CG-DL-E-25112021-231376

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4502] No. 4502] नई दिल्ली बृहस्पतिवार, नवम्बर 25, 2021/अग्रहायण 4, 1943 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 25, 2021/AGRAHAYANA 4, 1943

# इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(कार्मिक-I अनुभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली. 24 नवम्बर. 2021

का.आ. 4869(अ).—दिनांक 10 नवंबर, 2020 के का.आ. 4042 (अ) के जिरए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 अक्टूबर, 2020 की इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2(1)/2017-कार्मिक-I और ई के अधिक्रमण में और सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक सूचना के अधिगम को अवरूद्ध करने की प्रक्रिया और सुरक्षोपाय) नियमावली, 2009 के नियम 3 के साथ पठित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2000 का 21वां) की धारा 69क की उप धारा (I) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा ग्रुप प्रमुख (साइबर कानून (लॉ)) (केन्द्र सरकार का एक ऐसा अधिकारी होने के नाते, जो संयुक्त सचिव की रैंक से नीचे रैंक का न हो) को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्पलेक्स, लोदी रोड़ नई दिल्ली -110003 में उपर्युक्त नियमों के प्रयोजन से पदनामित अधिकारी के रूप में प्राधिकृत और पदनामित करती है।

[सं. 2(5)/2021-सीएल]

भुवनेश कुमार, संयुक्त सचिव

6825 GI/2021 (1)

#### MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

# (Personnel-I Section)

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th November, 2021

**S.O. 4869(E).**—In supersession of this Ministry's Notification No. 2(1)/2017-Pers.I dated 29th October 2020 published in the Gazette of India vide S.O. 4042(E) on 10<sup>th</sup> November 2020 and in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 69A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000) read with rule 3 of the Information Technology (Procedure and Safeguards for Blocking for Access of Information by Public) Rules, 2009, the Central Government hereby authorises and designates the Group Coordinator(Cyber Law) (being an officer of the Central Government not below the rank of Joint Secretary), in the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, Electronics Niketan, 6 Central Government Offices Complex, New Delhi - 110003, as the Designated Officer for the purpose of the said rules.

[No. 2(5)/2021-CL]

BHUVNESH KUMAR, Jt. Secy.